पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 477/अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक : ~~21~~.08.2007 25-8-07

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शनिवार, दिनांक २१.८.२००७ को पूर्वान्ह् ११.०० बजे कुलपति कक्ष में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे-

1.	डॉ लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा एस.के.मिश्र	सदस्य
3.	डा श्रीमती उषा दुबे	सदस्य
4.	डा बी.एन.शर्मा	सदस्य
5.	डा श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर	सदस्य
6.	डा शलभ कुमार तिवारी	सदस्य
7.	डा एस.जे.केकरे	सदस्य
8.	श्री रमेश नैयर	सदस्य
9.	प्रो.रामखिलावन गुप्ता	सदस्य
10.	श्री राहुल महावर	सदस्य
11.	डा श्रीमती इंदु अनंत, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव डॉ इंदु अनंत के कार्यभार ग्रहण की सूचना ग्रहण की गई।

कार्यवृत्त

1. कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.06.2007 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय सम्पुष्टि इस संशोधन के साथ की गई - कार्यवृत्त के विषय क्रमांक १९ में लिये गये निर्णय में क्रमांक २ में उल्लेखित सदस्य प्रो.मुकुन्द हम्बर्डे के स्थान पर प्रो.एस.के.मिश्रा एवं क्रमांक ५ में उल्लेखित सदस्य प्रो.बी.एन.शर्मा के स्थान पर श्री रमेश नैयर को कर्मचारियों के लंबित अभ्यावेदन का निराकरण करने हेतु गठित समिति में सदस्य मनोनीत करने का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- अकादमिक एवं प्रशासन विभाग)

2. विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.07.2007 एवं 26.07.2007 के कार्यवृत्त का कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(4) में अनुमोदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय अनुमोदन की सूचना ग्रहण की गई। निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों को संबद्धता हेतु निर्धारित समस्त मापदंडों की पूर्ति करने पर ही निरीक्षण समिति के द्वारा संबद्धता हेतु अनुशंसा की जावेगी एवं इस आशय का पत्र उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन को लिखा जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

3. श्रीमती प्रीति सतपथी, एल.एल.एम. भाग–एक प्रथम सेमेस्टर अप्रेल 2006 के पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के संबंध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 26.06.2006 में प्रकरण आगामी कार्यपरिषद मे रखने का निर्णय हुआ है । अतः प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय छात्रा को पुनर्मूल्यांकन में परीक्षकों के द्वारा मूल्यांकन के पश्चात् दिये गये अंकों की अधिसूचना जारी की जावे।

4. राज्य में संचालित शासकीय विश्वविद्यालयों में वित्तीय नियंत्रण के संबंध में सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र पर विचार करना।

निर्णय सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र को कार्यपरिषद के समक्ष रखा गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तत्संबंध में विश्वविद्यालय महामहिम कुलाधिपति, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन को वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुये पत्र लिखे कि विश्वविद्यालय के सारे वित्तीय कार्य नियम-परिनियम के अंतर्गत ही किये जा रहे है।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

5. मेसर्स लक्ष्मी पीरियाडिकल्स एंड बुकस् प्राइवेट लिमिटेड, लखनउ को ग्रंथालय हेतु 65 शोध पत्रिका के प्रदाय बाबत जारी आदेश के संबंध में विचार करना।

निर्णय विदेश शोध पत्रिका क्रय समिति की अनुशंसा को मान्य किया गया एवं पत्रिका प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही- ग्रंथालय एवं वित्त विभाग)

6. श्री अब्दुल महमूद, कीड़ा अधिकारी, शास. महाविद्यालय, बालोद के दिनांक 23.07.2007 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु शपथपूर्वक प्राप्त आवेदन पर विचार करना ।

निर्णय कार्यपरिषद द्वारा प्रकरण को पूर्व बैठक में अमान्य किया गया है अतएव इस पर पुनः विचार करने का औचित्य नहीं है।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

7. यूसिक विभाग के वर्षो पुराने खरीदे गये उपकरण रू. 1,89,717/– एवं येन 2,26,383/– के है, को अपलेखित करने पर विचार करना ।

निर्णय अपलेखन की स्वीकृति प्रदान की गई। निर्णय लिया गया कि खराब सामग्रियों के मूल्य का आंकलन कर नीलामी की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- यूसिक एवं विकास विभाग)

8. अध्यापक शिक्षा संस्थान, प. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर के एक व्याख्याता के पद को रीडर तथा डायरेक्टर के पद के स्थान पर प्रोफेसर/डायरेक्टर पद में परिवर्तन मान्य किये जाने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय संशेधित विज्ञापन (corrigendum) प्रकाशित की जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

9. डॉ. (श्रीमती) भावना अग्रवाल, अंशकालिक महिला चिकित्सक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर का मानदेय रू. 2500/– से बढ़ाकर रू. 5000/– प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय मान्य किया गया।

(कार्यवाही- विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंद्र एवं वित्त विभाग)

10. डॉ. रमेन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर को शासन द्वारा स्वीकृत शोधपीठ के समन्वयक के रूप में कुलपति द्वारा की गई नियुक्ति का अनुमोदन करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित पूर्व आदेश क्रमांक २००१/सा.प्रशा/२००७ दिनांक १०.७.२००७ को सूचनार्थ रखा गया। समिति ने विचार कर निर्णय लिया कि सेवानिवृत्ति पश्चात् पुनः नियुक्ति स्वेच्छानुसार न की जाये। अपितु इसके लिये एक समान नियमावली तैयार की जाय एवं पूर्व प्रसारित आदेश अस्वीकृत मान्य कर संशोधन के लिये आदेश दिये गये। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी शोधपीठ का कार्य विभागाध्यक्ष साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला के मार्गनिर्देशन में किया जावेगा एवं पं.सुन्दरलाल शर्मा शोधपीठ व पं.लखनलाल मिश्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शोधपीठ का कार्य विभागाध्यक्ष इतिहास अध्ययन शाला के मार्गनिर्देशन में किया जावेगा। स्वतंत्रता संग्राम के १५०वें वर्षगांठ पर एक समिति बनाकर आयोजन किया जाये ताकि वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा किये गये देश के लिये अमूल्य योगदान की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को हो सके।

(कार्यवाही- सामान्य प्रशासन, साहित्य एवं भाषा अध्ययन शाला एवं इतिहास अध्ययन शाला)

11. डॉ. संजय तिवारी, रीडर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर के पत्र कमांक 02.07.2007 पर विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के मार्ग-निर्देशिका (guideline) में उल्लेखित नियमों के तहत् कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- सामान्य प्रशासन एवं वित्त विभाग)

12. कम्प्यूटराइज्ड डिग्री मुद्रण हेतु मेसर्स आफसेट प्रिंटिंग हाउस, सतना (म.प्र.) को रू. 12,84,940/– के भुगतान की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

13. विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2007 के कार्यवृत्त को अनुमोदन करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

14. सरिता सिंह, छात्रा, एम.एड., पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, रायपुर के प्रकरण के जांच प्रतिवेदन पर विचार करना ।

निर्णय जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को कार्यपरिषद के समक्ष रखा गया एवं विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूँकि छात्रा की कक्षा में उपस्थित न्यून है अतः उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं बनती। जांच समिति के प्रतिवेदन को मान्य किया गया। संबंधित महाविद्यालय के संबंध में जांच समिति ने जिन व्यक्तियों के बारे में प्रतिवेदन दी है उस पर कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- गोपनीय विभाग)

15. श्री एस.जे. डहरवाल, व्याख्याता, फार्मेसी संस्थान के पी–एच.डी. उपाधि के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय श्री एस.जे.डहरवाल के लिखित क्षमायाचना को मान्य किया गया एवं निर्णय लिया गया कि मूल्यांकनकर्त्ताओं की अनुशंसा पर पी-एच.डी. उपाधि प्रदान करने की अधिसूचना जारी की जावे। सभी शोध केंद्रों को इस आशय का पत्र लिखा जावे कि समस्त आवश्यक अभिलेखों (कार्यरत संस्था का अनुमति पत्र एवं अन्य) के प्रस्तुत करने पर ही शोध संबंधी कार्यवाही की जावे एवं अकादमिक विभाग को निर्देशित किया गया कि अभ्यार्थियों द्वारा समस्त आवश्यक अभिलेखों को प्रस्तुत करने पर ही उनका आवेदन स्वीकार किया जावे।

(कार्यवाही- गोपनीय विभाग)

16. विश्वविद्यालय परिसर के मुख्य मार्गों पर आइडिया का साईन बोर्ड लगाने के लिए उनके आवेदन पर विचार करना ।

निर्णय अमान्य किया गया।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

17. विश्वविद्यालय में प्रचार प्रकोष्ठ की स्थापना एवं पी.आर.ओ. की नियुक्ति के संबंध में विचार करना ।

निर्णय राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत सेटअप में पी.आर.ओ का पद प्रतिनियुक्ति से भरा जाना है अतएव इस पद को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

18. रसायन अध्ययनशाला हेतु स्वीकृत इंप्रेस्ट राशि रू. 10,000/- में से विभागाध्यक्ष को रू. 1000/- तक खर्च करने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना ।

निर्णय समस्त अध्ययन शालाओं के लिये स्वीकृत इम्प्रेस्ट की राशि में से विभागाध्यक्ष को रू.१०००/- तक खर्च करने की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय विनियम के अंतर्गत किया जावे।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

19. स्वीकार किए गए विलंब से प्राप्त लघु शोध प्रबंध के अनुमोदन पर विचार करना ।

निर्णय छात्रों के द्वारा प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध को मूल्यांकन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही- गोपनीय विभाग)

20. महर्षि पतंजलि शिक्षण समिति द्वारा संचालित भिलाई कॉलेज ऑफ इंफार्मेशन टेक्नालाजी, भिलाई का न तो स्वयं का, न किराये का भवन होने के कारण महाविद्यालय की सम्बद्धता पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर विचार करना।

निर्णय कारण बताओ नोटिस जारी की जावे।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

21. माह जनवरी 2008 में चतुर्दश दीक्षांत समारोह के आयोजन की प्रकिया प्रारंभ किये जाने पर विचार करना ।

निर्णय चतुर्दश दीक्षांत समारोह के आयोजन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की अनुमति दी गई।

(कार्यवाही- अकादमिक एवं प्रशासन विभाग)

22 विश्वविद्यालय परिसर में 'हॉबी सेन्टर' एवं 'कैपेटेरिया' के निर्माण के संबंध में विचार करना ।

निर्णय मान्य किया गया।

(कार्यवाही- विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग एवं वित्त विभाग)

23. सांख्यिकी अध्ययनशाला के बेकार पड़े उपकरणों के अपलेखन पर विचार करना ।

निर्णय अपलेखन की स्वीकृति प्रदान की गई। निर्णय लिया गया कि खराब सामग्रियों के मूल्य का आंकलन कर नीलामी की कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही- सांख्यिकी विभाग एवं विकास विभाग)

24. इलेक्ट्रानिक अध्ययनशाला के स्ववित्तीय योजना में खरीदी गई 25 पुस्तकों के अपलेखन पर विचार करना ।

निर्णय स्कंध पंजी के आधार पर परीक्षण किया जावे कि पुस्तकें किसे जारी की गई है, संबंधित व्यक्ति को इस आशय का पत्र लिखा जावे कि उनके द्वारा प्राप्त पुस्तकों को वापस किया जावे अन्यथा पुस्तकों की राशि (रू.६०६०/- एवं रू.६.९५ डॉलर) विश्वविद्यालय में जमा की जावे।

(कार्यवाही- इलेक्ट्रानिक्स एवं वित्त विभाग)

25. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 20.08.2007 की कार्यवृत्त के अनुमोदन के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय अनुमोदित की गई एवं निर्णय लिया गया कि निर्माण कार्यों की जांच architect से कराई जावे। इसके अलावा विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के द्वारा समय-समय पर निर्माण कार्यों की जांच की जावे।

(कार्यवाही- विश्वविद्यालय यांत्रिकी विभाग)

26 अध्यापन कार्य हेतु शिक्षकों की व्यवस्था एवं एक समान मानदेय प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना ।

निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा निर्धारित मानदेय प्रदान किया जावे एवं समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जावे कि मानदेय शिक्षकों से प्रतिदिन दो कक्षाएँ आवश्यक रूप से लिये जावे।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

27. विश्वविद्यालय के केन्द्रीय अपलेखन समिति में कार्यपरिषद की ओर से प्रो. एस.के. मिश्रा के मनोनयन की सूचना ग्रहण करना ।

निर्णय सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाही- विकास विभाग)

28. पांच वर्षीय एम.एस–सी. फोरेन्सिक साइंस में कु. नीलम मिश्रा के प्रवेश के प्रकरण पर विचार करना।

निर्णय प्रवेश-समिति ने चूँकि छात्रा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख (mark sheet of percentage improvement) का परीक्षण नहीं किया जिसमें अंकों एवं प्रतिशत में वृद्धि हुई है अतः इसे विशेष प्रकरण मानते हुये पांच वर्षीय एम.एस–सी. फोरेन्सिक साइंस में एक अतिरिक्त सीट की वृद्धि करते हुये कु.नीलम मिश्रा को प्रवेश दिया जावे।

(कार्यवाही- जैविकी अध्ययन शाला)

29. परिनियम कमांक 28 के अंतर्गत सम्पन्न हुए साक्षात्कार के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति की अनुशंसा पर अनुमोदन प्रदान करने के प्रकरण पर विचार करना :

निर्णय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति का अनुमोदन किया गया--

महाविद्यालय का नाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम
श्री शंकराचार्य महाविद्यालय भिलाई	डॉ श्रीमती रक्षा सिंह
स्वामी स्वरूपानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भिलाई	डॉ हंसा शुक्ला
रुंगटा कॉलेज ऑफ डेन्टल साइंस एंड रिसर्च, भिलाई	डॉ सुधीर वाय.पवार
फिजियोथेरेपी महाविद्यालय, सप्रे स्कूल परिसर, रायपुर	डॉ श्याम गणवीर
महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल महाविद्यालय रायपुर	डॉ समीर ठाकुर
प्रगति महाविद्यालय, रायपुर	किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया
गुरुकूल महाविद्यालय, रायपुर	किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया
रुंगटा कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नालाजी, दुर्ग	किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया
मैट्स कॉलेज, रायपुर	किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया
पैरी गंगा महाविद्यालय, मैनपुर	किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया गया

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से

३०. अखिल विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के द्वारा समस्त कुलपतियों की बैठक का आयोजन पूर्वी-क्षेत्र (East-zone) में किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अधिवेशन का आयोजन पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव AIU को भेजे जाने का निर्णय लिया गया। आयोजन में कुल अनुमानित खर्च रू.४०,००,०००/- होने की संभावना है। AIU के द्वारा token money के रूप में २.०० लाख रूपये आयोजक को प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय seed money के रूप में रूपये १०.०० लाख का वहन करेगी एवं राज्य शासन से अनुदान के रूप में रूपये १०.०० लाख प्राप्त करने हेतु पत्र लिखे। अन्य शेष राशि विश्वविद्यालय विज्ञापनों एवं दान के रूप में एकत्रित करेगा।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

३१. दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि में प्रकाशित समाचार *सैक्स स्कैंडल - विश्वविद्यालय के दामन पर एक और धब्बा* से संबंधित प्रकरण पर चर्चा की गई। प्रकरण की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही- प्रशासन विभाग)

३२. Indo-China भ्रमण यात्रा से संबंधित प्रकरण पर कुलपति के द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को लिखे पत्र की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाही- वित्त विभाग)

३३. फार्मेसी अध्ययन शाला में कार्यरत मानदेय शिक्षकों के मानदेय के निर्धारण पर निर्णय लिया गया कि PCI/AICTE के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार विभाग में आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था की जावे। वर्तमान में जिन मानदेय शिक्षकों का मानदेय लंबित है उनके द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान पूर्व निर्धारित मानदेय के आधार पर किया जावे।

(कार्यवाही- फार्मेसी अध्ययन शाला एवं वित्त विभाग)

३४. अन्त में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी.एड. व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में कितने महाविद्यालय खोले जाय एवं उनमें कितने छात्र संख्या प्रवेश के लिये स्वीकृत हो इस आशय की समीक्षा शासन स्तर पर किये जाने के लिये विश्वविद्यालय से पत्र भेजा जाय।

(कार्यवाही- अकादमिक विभाग)

C Chaturvedi
कुलपति

कुलसचिव

पृ.कमांक 478/अका./का.प./2007 रायपुर, दिनांक : 21.08.2007
25-8-07

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर ।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को ।
3. जनसंपर्क अधिकारी / अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्ताधिकारी / आवासीय अंकेक्षक,
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

कुलसचिव